FORM-II

(for projects other than linear projects)

Office of the District Collector Tehri Garhwal

Government of Uttarakhand

No--- 540 Dated---7-7-2020

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 190 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand Forest Devlopment Corporation** (name of user agency) for**Extraction of RBM in Chandrbhaga River**(purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of**Dhalwala, Gujrada, Talai, Daor and Auri** village (s) in**Narendranagar** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire**190 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to 12 annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Dhalwala, Gujrada, Talai, Daor and Auri** villages(s) is enclosed as annexure 01 to annexure 12

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - Tehri Garhwal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr Mangesh Ghildiyal (IAS)** deputy commissioner,Tehri Garhwal on dated 07-07-2020 at time ....at .... in which application claiming rights in **Extraction of RBM in Chandrbhaga River**area measuring **190 hect** for the construction of **Chandrbhaga River**forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Narendranagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place New Tehri

Dated: 7-7-2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District level Committee
Tehri Garhwal

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड /वन विकास निगम
देहरादून

कार्यालय–जिलाधिकारी, नई टिहरी
जनपद – टिहरी गढवाल

पत्रांक 540 / दिनांक 7.7-2020

वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07–07-2020 को जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद टिहरी गढवाल के नरेन्द्रनगर वन प्रभाग अन्तर्गत शिवपुर रेंज की चन्द्रभागा नदी , 190 है0 में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 190 है0 भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी सदर देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 190 है0 भूमि जो कि वन विभाग के शिवपुरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढवाल
(मुहर: जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल
(मुहर: जिला अधिकारी टिहरी गढवाल)

दयाल सिंह रावत
सदस्य जिला पंचायत
43, मैतंण (नरेन्द्र नगर)
जिला–टिहरी गढवाल

प0सं0................/................/दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल
(मुहर: जिला अधिकारी टिहरी गढवाल)

प्रा०५–30.2

परियोजना का नाम :– चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्र नगर

उपखण्ड नरेन्द्र नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान हेतु (190 हे0 आरक्षित वन भूमि, ✗ हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ✗....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 190 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 12-06-2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक युक्ता मिश्र........, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री युक्ता मिश्र ....उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर – अध्यक्ष

2– श्री डी० पी० बलोनी ––उप प्रभागीय वनाधिकारी–––––––––––––––सदस्य

3– श्री राहुल प्रताप सिंह ––सहायक समाज कल्याण अधिकारी––––––––––––सदस्य / सचिव

4– श्री आशा सिंह –––––बी0डी0सी0 क्षेत्र –––38 ग्रा.... सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 190 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण हेतु 190 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – नरेन्द्रनगर
जनपद – टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/6/2020

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – नरेन्द्रनगर
जनपद – टिहरी गढ़वाल

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– चन्द्रभाग नदी में उपखनिज चुगान कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – ......कोडारना......

तहसील – नरेन्द्रनगर, जिला – टिहरी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (190 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि., 0.0 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 190.00 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोडारना द्वारा दिनांक 16-01-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवारी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोडारना, कौल, जाजवाड़ा...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्रा० पंचायत कोडारना
ह0
दि0
वि० ख० नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 16-1-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गुजराड़ा कोडारना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रविकेश थपलियाल	[signature]
2	अनिल भट्ट	[signature]
3	राजेश नेगी	[signature]
4	अरुण भट्ट	[signature]
5	सुमित भट्ट	[signature]
6	चन्दन सिंह कण्डारी	चन्दन सिंह
7	सुकीर्ति भट्ट	[signature]
8	ज्ञान सिंह नेगी	ज्ञानसिंह नेगी
9	रामचन्द्र सिंह कण्डारी	[signature]
10	श्रीकान्त भट्ट	श्रीकान्त भट्ट
11	मनोज रावत	[signature]
12	प्रदीप नेगी	प्रदीप सिंह
13	कमल सिंह	कमल सिंह
14	भोपाल सिंह	भौपाल सिंह
15	बालम सिंह	बालम सिंह
16	यशपाल सिंह	[signature]
17	बृजेश कण्डारी	[signature]
18	नरेन्द्र सिंह नेगी	[signature]
19	सुरेश चन्द भट्ट	सुरेश
20	मनजीत	मनजीत

प्रधान ग्राम पंचायत कोडारना
ह० Sunty
दि० 16-01-2020
ह० / मेन्द नगर, टि० गढ़वाल

ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– चन्द्रभाग नदी में उपखनिज चुगान कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – ......आँणी......

तहसील – नरेन्द्रनगर, जिला – टिहरी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (190 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि., 0.0 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 190.00 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......आँणी...... द्वारा दिनांक 17-01-2020को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......आँणी, तलाई...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत आँणी
ह0 Bihudia
दिनांक
वि0 ख0 नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.4

दिनांक 17-01-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तलाई, औंणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भागसिंह	भागसिंह
2	रघुवीर यादव	रघुवीर यादव
3	राजेन्द्र प्रसाद	[illegible]
4	बृजेश सागर	[illegible]
5	रामचन्द	रामचन्द
6	तुलसी राम	तुलसी राम
7	[illegible]	[illegible]
8	दीपक	दीपक
9	राजेश	राजेश
10	[illegible]	[illegible]
11	प्रेम सिंह	प्रेम
12	भगवान सिंह	भगवान
13	दौलत सिंह	दौलत
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ह0 / प्रधान ग्राम पंचायत औंणी
ग्राम प्रधान

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— चन्द्रभाग नदी में उपखनिज चुगान कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — ......डोर......

तहसील — नरेन्द्रनगर, जिला — टिहरी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (190 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि., 0.0 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 190.00 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......डोर...... द्वारा दिनांक 10/02/2020को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......डोर...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत डोर
बीना देवी
ह०
दिनांक ....
नरेन्द्र नगर (टिहरी)

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 10/02/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत डोर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेश सिंह वार्ड मेम्बर 03	सुरेशसिंह
2	[illegible] 2	[illegible]
3	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
4	Vikram Singh	Vikram
5	भीम सिंह	भीम
6	भरत सिंह	भरत
7	देवेन्द्र	देवेन्द्र
8	राजेन्द्र पंवार	राजेन्द्र
9	मंगल सिंह	मंगलसिंह
10	सूरज सिंह	Suraj
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

ह० बीना देवी
दिनांक 10/2/2020
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत डोर, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– चन्द्रभाग नदी में उपखनिज चुगान कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

नगर ~~पंचायत~~ पालिका
~~ग्राम पंचायत~~ का नाम – ढालवाला

तहसील – नरेन्द्रनगर, जिला – टिहरी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी रेंज की चन्द्रभागा नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (190 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि., 0.0 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 190.00 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ढालवाला द्वारा दिनांक 10/02/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ढालवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मुनिकीरेती–ढालवाला
टिहरी गढ़वाल

ह0/–
~~ग्राम सचिव~~ अधिशासी
मुहर सहित अभियन्ता
ढालवाला

~~ग्राम प्रधान/सरपंच~~ अध्यक्ष
मुहर सहित नगर पंचायत
पालिका ढालवाला
मुनिकीरेती

प्रारुप—30.4

दिनांक 10/02/20 की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगरपालिका ~~ग्राम पंचायत~~ ढालवाला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भरत सिंह	[signature]
2	मनोज सिंह	मनोज
3	बलवीर सिंह	बलवीर
4	किरीट लाल	किरीट
5	टी आर फर्स्ट.	[signature]
6	अजय चमोली	[signature]
7	दिनेश रतूडी	[signature]
8	लक्ष्मी थलवाल	लक्ष्मी
9	विनोद थलवाल	विनोद
10	विरेन्द्र पवांर	Virendra
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती-ढालवाला टिहरी गढ़वाल

ह0/— अध्यक्ष

~~ग्राम प्रधान~~